अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री आर. एस. ... श्री	

लोकेश देव बनाम लोकेन्द्र देव वगैरह

20-11-20 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर दिनांक 12.11.2020 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वर्णित आराजीयात पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में राजीनामा व पारिवारिक समझौते के आधार पर विभाजन की डिक्री पारित की जा चुकी है जो तहसीलदार, मौजमाबाद द्वारा मात्र स्टाम्प की बचल किये जाने के आधार पर अपील पेश करने से पत्रावली रिमाण्ड हुयी है दोनो पक्षों की सहमति से मौके के कब्जे के अनुसार बंटवारा हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में अपीलांट व उसके भाई लोकेन्द्र देव द्वारा पेश अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है जिसमें दिनांक 13.09.2019 को विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये हुए है जो भी प्रभावी है तथा इसी भूमि के सम्बन्ध में एक वाद व प्रार्थना पत्र कमलादेवी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 12/2020 कमलादेवी बनाम विजयलक्ष्मी वगैरह में नाम से अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया हुआ है जिसमें विचाराधीन भूमि के सम्बन्ध में बेचान, रहन, मुन्तकिल न करने व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत् स्थिति के आदेश दिनांक 19.02.2020 को जारी किए हुए है। ऐसी स्थिति में उक्त आदेश जारी किया जाना विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश स्पीकिंग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने कोई स्पष्ट निष्कर्ष व्यक्त नहीं किए है वरन् यह अंकित करते हुए कि न्यायहित में अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट को जरिये स्थगन आदेश से पाबंद कर रखा है उक्त आदेश के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 06 ने इनके तथ्यों को छुपाकर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.07.2020 की कभी भी जानकारी नही रही है, अपीलांट को दिनांक 18.08.2020 को हो गयी थी लेकिन कोविड–19 व लॉकलाडन के कारण अपील वरवक्त पेश नहीं की जा सकी थी। अपील पेश करने में जो विलम्ब हुआ है वह अपीलार्थी द्वारा जानबूझकर नहीं हुआ है अपितू कोविड–19 के कारण हुआ है जो क्षमा किये जाने योग्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में है। मान्नीय न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.07.2020 की क्रियान्विति स्थगित फरमायी जाकर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस को पाबंद फरमाया जावें कि अपीलांट क क़ब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करें, न प्रार्थी को कब्जे से बेदखल करे, न विवादित आराजीयात को रहन, विक्रय एवं मुन्तकित करें तथा राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा दिनांक 15.07.2020 को अन्तरिम स्थगन आदेश पारित करते हुए विवादित आराजी वाकै ग्राम मौजमाबाद पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखंलदांजी न करने, बेदखल न करने हेतु पाबंद किया तथा राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये गये है तथा प्रकरण वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र व इन्तजार नोटिस में विचाराधीन है। पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अप्रार्थी/अपीलार्थी संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही नहीं कर, यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। इस प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

६६

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

218/2020/225 [illegible] बनाम [illegible]

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	202000218 श्री आर.एल. [illegible] श्री	
लगातार	अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा लम्बित चला आ रहा है। इस परिपेक्ष में प्रस्तुत अपील धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम ही मूलतः अवधारर्णीय नहीं है क्योंकि दिनांक 15.07.2020 का आदेश अंतिम आदेश की श्रेणी में नहीं आता है तथा धारा 225 (1) राज.काश्तकारी अधिनियम के अधीन अपील अंतिम आदेश के विरूद्ध ही अवधारर्णीय रहती है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है फिर भी न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर शीघ्र निस्तारण करें। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कारण संतोषप्रद होने के कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात अपील आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक), दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करत हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर शीघ्र निस्तारण करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। 20/11/2020 राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर	